



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 25 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 4, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

25th November, 2020

Dated : _____.
04 Agrahayana, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 155/UP-LC/2020(1) : -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby appoints, in addition to the officers appointed *vide* its Notification no. 155/UP-LC/2001(1), dated 02nd August, 2001, as amended from time to time, the following Officer specified in Column (2) of the Table below, as Assistant Returning officer to assist the Returning officer of the Council Constituency in the State of Uttar Pradesh specified in Column (1) of the said Table, in the performance of functions of such Returning Officer:-

TABLE

Name of Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
1-Agra Division Graduates'	Chief Development Officer, Agra
2-Agra Division Teachers'	Chief Development Officer, Agra

The above amendments will cease to be effective immediately after completion of ongoing biennial election in the State in respect of the above said constituencies.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
तारीख: 25 नवम्बर, 2020
04 अग्रहायण, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं० 155/उ०प्र०-वि०प०/2020(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 155/उ०प्र०-वि०प०/2000(1) दिनांक 02 अगस्त, 2001, समय-समय पर यथासंशोधित, के जरिए नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त तालिका के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में परिषद निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की उनके कार्य-निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

तालिका

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)	(2)
1-आगरा डिवीजन स्नातक	मुख्य विकास अधिकारी, आगरा
2-आगरा डिवीजन शिक्षक	मुख्य विकास अधिकारी, आगरा

2-उपर्युक्त संशोधन पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य में वर्तमान द्विवार्षिक निर्वाचन के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रभावी नहीं रह जाएंगे।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।